

व्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम० के० सिंह
सदस्य

निगरानी क्रमांक 256-एक/2011 -विरुद्ध आदेश दि. 28.10.2010
पारित द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर - प्रकरण क्रमांक
426 अ-19/ 2008-09 अपील

राजेशकुमार पुत्र हरीशकुमार

निवासी जोधाराम भवन

रावर्ट लायन, माधवनगर कट्टनी

—आवेदक

विरुद्ध

1- अपर आयुक्त, जबलपुर

2- म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर कट्टनी

3- अनुविभागीय अधिकारी कट्टनी

4- पटवारी ह०नं० ३०ग्राम बोहता जिला कट्टनी

5- नायव तहसीलदार मुङ्वारा व्लाक कट्टनी

—अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुशील मिश्रा)

(अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं)

आ दे श

(आज दिनांक ५ - १० - २०१५ को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 429 अ-19/ 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

2/ प्रकरण का सारोँश यह है कि यह कि आवेदक ने कलेक्टर कट्टनी के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि ग्राम पङ्कवारा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 343/1 रक्खा 23.82 हैक्टर में से 10 एकड़ भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पट्टे के आधार पर कृषि करने हेतु आवित की जावे। कलेक्टर कट्टनी ने

✓

प्रकरण क्रमांक 429 अ-19/08-09 पंजीबद्व किया एंव आवेदक के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच नायव तहसीलदार कट्टनी से एंव अनुविभागीय अधिकारी कट्टनी से कराई। जांचोपरांत आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 14.1.09 पारित किया एंव आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया। इस आदेश के विलम्ब आवेदक ने आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 429 अ-19/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 द्वारा अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि की कृषि कार्य हेतु पट्टे पर देने मांग की गई है। कलेक्टर कट्टनी ने आवेदक के आवेदन की जांच नायव तहसीलदार से कराई है नायव तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन दिनांक 7-3-08 प्रस्तुत कर बताया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पड़खाड़ा नगर निगम कट्टनी के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा में है जिस पर राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 के प्रावधान लागू हैं, जिसके कारण कलेक्टर कट्टनी ने वादग्रस्त भूमि को कृषि प्रयोजन के लिये पट्टे पर न देने का निर्णय लिया है। नगर निगम सीमा क्षेत्र स्थित भूमियों भविष्य में शासकीय उपयोग में आने की संभावना बनी रहती है

जिसके कलेक्टर कट्टनी ने आदेश दिनांक 14.1.09 से आवेदक का भूमि आबंटन आवेदन निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 429 अ-19/2008-09 अप्रैल में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 से कलेक्टर के आदेश दिनांक 14.1.09 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य की जाती है। परिणामतः आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 429 अ-19/2008-09 अप्रैल में पारित आदेश दिनांक 28-10-2010 स्थिर रखा जाता है।


(एम० के० सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश व्यालियर